भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2412

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटरों के लिए निधि जारी करना

2412. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) के लिए निधियों में विलंब, अपर्याप्तता/निधि जारी न किए जाने से संबंधित कोई मुद्दे सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और जारी की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वित्त पोषण की कमी को दूर करने, समय पर निधियां जारी करने और संकट में फंसे महिलाओं और बच्चों को प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटरों के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है।

मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार संबल उप-योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देशभर में ओएससी के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी और बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की जाती है। व्यय विभाग द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर, निधि जारी की जाती है। हालांकि, इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति तथा महिलाओं एवं बच्चों को प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान किए जाने की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से इस योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएससी के लिए जारी की गई राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक

'वन स्टॉप सेंटरों के लिए निधि जारी करना' विषय पर डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम दिनांक 13.02.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2412 के भाग (क) से (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएससी के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई/खर्च
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.48
2	आंध्र प्रदेश	13.22
3	अरुणाचल प्रदेश	25.29
4	असम	34.61
5	बिहार	12.65
6	चंडीगढ़	1.34
7	छत्तीसगढ़	30.13
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.93
9	दिल्ली	10.11
10	गोवा	1.15
11	गुजरात	42.83
12	हरियाणा	19.84
13	हिमाचल प्रदेश	8.53
14	जम्मू और कश्मीर	13.49
15	झारखंड	12.04
16	कर्नाटक	33.50
17	केरल	10.17
18	लद्दाख-संघ राज्य क्षेत्र	1.67
19	लक्षद्वीप	0.39
20	मध्य प्रदेश	52.86
21	महाराष्ट्र	28.17
22	मणिपुर	20.15
23	मेघालय	12.71
24	मिजोरम	14.78
25	नागालैंड	22.50
26	ओडिशा	41.89
27	पुदुचेरी	1.58
28	पंजाब	17.03
29	राजस्थान	32.74
30	सिक्किम	4.65

31	तमिलनाडु	45.03
32	तेलंगाना	46.06
33	त्रिपुरा	3.16
34	उत्तर प्रदेश	76.46
35	उत्तराखंड	11.80
36	पश्चिम बंगाल	10.97

******